Government Commerce College, Kota

Disabled-friendly, barrier free environment



राजस्थान सरकार निदेशालय विशेष योग्यजन जी 3/1 ए, विशेष योग्यजन भवन, राजगरल होवल के पीछे, जयपुर Rain 2517 1092 क्रमांकः एफ १६()/वि.यो./पंजी./नवी./२०२१/ १५२१२-१३ क्रमाकः एक 16()मदया,गजा,गजा,20217 19,813-15 1. शासन सचिव (उच्च शिक्षा एवं तकनोकि शिक्षा), शिक्षा विभाज, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर। 2. शासन सचिव, (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाज, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

01C Dev (SIED विषय:-कक्षा 9 से उच्च शिक्षा हेतु राज्य में अध्यनरंग विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के छात्रवृति हेतु आवेदन नेशनल ई-स्कॉलरशिप पोर्टल पर आमंत्रित किये जाने के संवय में। 26 |07 | 2022 प्रसंग:- अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 15.07.2022 के कम में।

महोदय.

उपरोवत विषयालत्कांत प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि दिव्यांगजन संशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 हेतु नेशनल ई-स्कॉलरशिप योजनान्तर्गत कक्षा 9 से उच्च शिक्षा में अध्यनरत विशेष योज्याजन विद्यार्थियों के प्रजयति हेतु आवेदन पत्रों को दिनांक 20.07.2022 से ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने के संबंध में अद्यनत कराया गया है। उक्त योजनान्तर्गत संग्रालित प्री-मैट्रिक, पोटड-मैट्रिक एवं दॉप क्लास स्तर पर आवेदन करने की निम्नलिधित तिथियां निर्धारित की गई है।

क्र. सं.	योजना , का नाम		शैक्षणिक संस्यान स्तर पर आवेदन सत्यापन की अंतिम तिथि
1	प्री-मैट्रिक	30.09.2022	16.10.2022
2	पोस्ट-मैट्रिक	31.10.2022	15.11.2022
3	टॉप क्लास	31.10.2022	15.11.2022

अतः आपसे निवेदन है मान्यता प्राप्त राजकीय शिक्षण संस्थानों/निजी शिक्षण अतः आपसः निवेदन ह मान्यता प्राप्त राजकाय ११९९७ सुरियाना/तजा ११९९७ संरथानों में कक्षा 9 से उच्च शिक्षा में अध्यनरत विशेष योग्यजन छत्र-ष्ठत्राओं के छात्रवृति देतु आवेदन नेशनल ई-र्स्वातरशिप पोर्टन www. scholarships.gov.in पर कराने देतु संवधित को आवश्यक निर्देश प्रदान करवाने का श्रम करावे। संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

जस्थान सरका

आयुक्त एवं शासन सचिव

र्माकः ज	रावामको /	2023 / 455	दिनांक : 12.04.2023
	आयुक्त महं लय कॉलेज	ोदय, ा शिक्षा राजस्थान,	
	पा बा ांदर्भ :- ः	ज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लना एवं राजकीय महाविद्यालयों में वि धारहित वातावरण प्रदान करने के सम्ब आपका पत्रांक एफ 4 (7) विविध√अका 24.04.2023	शेष योग्यजनों को देय सुविधाओं एवं
77	परोक्त वि	षयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में	लेख है कि महाविद्यालय से संबंधित
वेशेष यो	ग्यिजन छा हाविद्यालय	षयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के कम में त्रों के संबंध में चाही गई सूचना निम्ना । में विगत 5 वर्षों में शिक्षा प्राप्त करने	नुसार है : वाले विद्यार्थियों की संख्या :
वेशेष यो	ग्यिजन छ।	त्रों के संबंध में चाही गई सूचना निग्ना	नुसार है :
	हाविद्यालय	1 में विगत 5 वर्षों में शिक्षा प्राप्त करने	वाले विद्यार्थियों की संख्या :
	कि.सं.	सत्र	विद्यार्थियों की संख्या
वेशेष यो	ग्यिजन छा	त्रों के संबंध में चाही गई सूचना निम्ना	नुसार है :
	हाविद्यालय	1 में विगत 5 वर्षों में शिक्षा प्राप्त करने	वाले विद्यार्थियों की संख्या :
	कि.सं.	सत्र	विद्यार्थियों की संख्या
	1	2018–19	05
वेशेष यो	ग्यिजन छ।	त्रों के संबंध में चाही गई सूचना निम्ना	नुसार है :
	हाविद्यालय	1 में विगत 5 वर्षों में शिक्षा प्राप्त करने	वाले विद्यार्थियों की संख्या :
	क.सं.	सत्र	विद्यार्थियों की संख्या
	1	2018–19	05
	2	2019–20	03
वेशेष यो	ग्यिजन छा	त्रों के संबंध में चाही गई सूचना निम्ना	नुसार है :
	हाविद्यालय	में विगत 5 वर्षों में शिक्षा प्राप्त करने	वाले विद्यार्थियों की संख्या :
	क.सं.	सत्र	विद्यार्थियों की संख्या
	1	2018-19	05
	2	2019-20	03
	3	2020-21	05
वेशेष यो	ग्यजन छ।	त्रों के संबंध में चाही गई सूचना निम्ना	नुसार है :
	हाविद्यालय	में विगत 5 वर्षों में शिक्षा प्राप्त करने	वाले विद्यार्थियों की संख्या :
	क.सं.	सन्न	विद्यार्थियों की संख्या
	1	2018–19	05
	2	2020–20	03
	3	2020–21	05
	4	2021–22	04
वेशेष यो	ग्यिजन छा हाविद्यालय क.सं. 1 2 3	त्रों के संबंध में चाही गई सूचना निम्ना में विगत 5 रपों में शिक्षा प्राप्त करने सत्र 2018-19 2020-21 2020-21 2021-22 2022-23	नुसार है : वाले विद्यार्थियों की संख्या : विद्यार्थियों की संख्या 05 03 03 05 04 05
वेशेष यो	ग्यजन छ।	त्रों के संबंध में चाही गई सूचना निम्ना	नुसार है :
	हाविद्यालय	में विगत 5 वर्षों में शिक्षा प्राप्त करने	वाले विद्यार्थियों की संख्या :
	क.सं.	सन्न	विद्यार्थियों की संख्या
	1	2018–19	05
	2	2020–20	03
	3	2020–21	05
	4	2021–22	04

থাগেৰে।" বাংকাৰে আযুকালোক, কাৰিজ বিষয়া, খাতাৰ্ম্যাল, তাযযুখ Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan Website: http://rite.rajasthan.gov/in/dept/dce/ e-mail:iddi.ces/kmail.com Ph.: 0.034-7276736 (0); एफ 4 () आकाशि/नि.स./2022/969 Renter- 04/04/23 दिबय— राज्य में दिव्यांगजन अभिकार अभिनियम 2016 (APWD ACT 2016) की पालना एवं निजी नहाविद्यालयों में विशेष योग्यजनों को देव सुविधाओं एवं बाधारहित जतावरण प्रदान करने के सम्बन्ध में। संदर्भ- आयुक्तालव विशेष योग्यजन के एव इम्पॉक एफ१()/आयुनि.जन./2023/14037 जयपुर दिनांक 27.03.2023 के क्रम में। उपयुंक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके महाविद्यालय में विशेष योग्यजन छात्रों के संबंध में निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिष्टिया की आहे— योग्यजन छात्रों के संबंध में निम्न दिशा निर्देशों की पालना सुनिशिक्ता की आदे-1. मातवियालय में किलने सिरोप योग्यजन चिगा, ज्यापुर को मेंचित करें। या सातवियालय में किलाने सिरोप योग्यजन चिगा, ज्यापुर को मेंचित करें। 2. मातवियालय में रिद्यांग विद्यार्थियों के लिए कार्यरल विशेष आव्यालाओं की मुझी आयुक्तालय विशेष योग्यजन जिसान उजयुर को मेंचित करें। 3. दिय्यांगजन अधिकार अभिनियन 2016 (IPWD ACT 2016) में प्रदास प्रावचानों के अनुसार विशेष योग्यजनी के अनुसुल मवन निर्माण करें जिससे विशेष योग्यजनों की पहुंच गुरानायापुर्वक हो त्यहें। 4. मातवियालय हात्त समय-समय पर विशेष योग्यजनों को प्रदान की जाने चाती सुत्रियाजों को विश्वापन अधिकार अभिनियम 2016 (IPWD ACT 2016) में प्रदान तो जाने चाती सुत्रियाजों को विश्वापन अधिकार अधिनियम 2016 (IPWD ACT 2016) के अव्याय 8 में वर्गित वारा ३० (प. इ. या के साव्यानुवार दिशेष योग्यजनों की सुत्रियित करें। 6. विशेष योग्यजनों हुन क्रोलेज पत्रने विश्वाप ता की सुनिशिक्त करें। 6. विशेष योग्यजनों हुन क्रोलेज पत्रन किया जोग सुनिशिक्त करें। 6. विशेष योग्यजनों हुन क्रोलेज पत्रने सिंहा योग्यजनों के पहुंचा त्याता अधित (IRE) 1. वियांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (IPWD ACT 2016) के अव्याय 8 में वर्गित वारा ३० (प. इ. या के साज्यानुवार दिशेष योग्यजनों के हितार्थ दिशा की जाने पत्र ने वर्गित वारा ३० (प. इ. या के साज्यानुवार दिशेष योग्यजनों के सितार्थ नियाले पत्र दिय्यांगजन अधिकार अधीनियम 2016 (IPWD ACT 2016) की रहा द्वापित्रम के जाने की जावेर (प्रत ने प्रवत्तन) किसने आयुक्तालय विशेष योग्यजन, एकस्वान सरकार, दूरपाप गंठ-014-2222003, सो नं-क्राल्य20223 अक्ति स्वरेशि त्यातालय किये। योग्यजन के ति सित्रमांगि वार्य या दिया (प्रयत) तिव्रम, 307/16 सांग्यजन) 7.294 रितांक 22.10.2020 एवं क्रमांक 300 रियांक 121.1200 के हारा नियुक्त नोतल करे () आयुक्तस्य विशेष योग्यजन हेतु भी नोज्रज अकिश का की करेने। प्रतितिपि निम्नतिखित को सुचनार्थ एवं आवस्यक कार्यवाडी डेतु प्रेषित-1. भी चनावांकर हार्ज, राज्य आयुक्त, आयुक्तालय दिवेश योग्यजन, राजरखान सरकार । 2. वनस्ता सावयक निरोत्तक, सम्बन्धित राजकीय महावियालयों को जनको आयटित तडसील में अवस्थित निजी महावियालयों को दूरपाल पर सुधित करते पुष्ट आरोद की पावना जुनित्रिका करते । 2. प्रत्यय, नीटक राजकीय महावियालय को पेजकर लेख है कि आपको आयटित तडसील में अवस्थित निजी महावियालयों को दूरपाल पर सुधित करते अपरेश की प्रकार ने कि मिले मान्य निजी महावियालयों को दूरपाल पर सुधित करते अपरेश की प्रकार नुनित्र करते । निजी महावियालयों के निर्देशम के लिए वियागीय आदेश एक 4 (ठ) आजाति /ते सां /2020 /348 दिनांक 22.10.2020 एवं क्रमांक ठाठ दिनांक 12.1.2020 के हारा नियुक्त नोडल अधिकारी आयुक्तात्य विशेष योग्यजन हेतु थो नेवला अधिकारी का कार्य भी करेगे । 4. वैस्वाईट प्रत्या, आयुक्तालय करेलेज हिशा, जययुर को वेस्वाईट पर अपराले करने हेतु 5. रहीत प्रयावती ।

Signature valid



RajKaj Ref No. : 3538404

Disabled-friendly, barrier free environment